



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

131-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 27, 2026 (BHADRA 5, 1948 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 27th August, 2026

No. 21-HLA of 2026/108 /14773.— The Haryana State Council for Physiotherapy (Repeal) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 21- HLA of 2026

A

BILL

to repeal the Haryana State Council for Physiotherapy Act, 2020.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana State Council for Physiotherapy (Repeal) Bill, 2026.
2. (1) The Haryana State Council for Physiotherapy Act, 2020 is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal,-
 - (i) all orders, notifications, registrations, permissions, approvals, recognitions, decisions, proceedings and actions taken or issued under the Act, so repealed shall continue to remain valid and effective;
 - (ii) all assets, funds, records, properties, liabilities, rights, obligations, contracts, commitments, registrations, registers, database, certificates, records and proceedings of the Haryana State Council for Physiotherapy shall stand transferred to and vest in the State Allied and Healthcare Council on its constitution;
 - (iii) officers and employees serving in the Haryana State Council for Physiotherapy immediately before the date of repeal shall continue to serve on the same terms and conditions of service
 - (iv) Any legal proceedings, enquiries, appeals, applications or any other matters pending before on the date of repeal of the said Act shall continue and shall be deemed to have been instituted to the State Allied and Healthcare Council on its constitution

Short title.

Repeal and Savings

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana State Council for Physiotherapy was constituted under the Haryana State Council for Physiotherapy Act, 2020 with the objective of regulating the profession of physiotherapy in the State of Haryana, including registration of physiotherapists, maintenance of registers, regulation of educational institutions and courses, and ensuring professional standards and ethical conduct.

Subsequently, the Central Government enacted the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, which provides for regulation and maintenance of standards of education and services by allied and healthcare professionals and for the constitution of State Allied and Healthcare Councils. Physiotherapy has been included as an allied and healthcare profession under the said Act.

In pursuance of the provisions of the said Central Act, the Haryana State Allied and Healthcare Council has been constituted. In view of the statutory framework established under the Central Act, the regulatory functions relating to physiotherapy are required to be brought within a unified framework. Continuance of a separate State Council for Physiotherapy under the 2020 Act would result in duplication and overlapping of regulatory functions.

Therefore, it is proposed to repeal the Haryana State Council for Physiotherapy Act, 2020 by enacting the Haryana State Council for Physiotherapy (Repeal) Bill, 2026, so as to facilitate a smooth transition to the unified regulatory framework under the Central Act.

The proposed Bill contains necessary saving and transitional provisions to protect the validity and continuity of actions taken under the 2020 Act, including continuation of registrations, proceedings, and transfer of assets, liabilities, and personnel to the State Allied and Healthcare Council.

The repeal is not expected to impose any additional financial burden on the State Government, as the expenditure shall be met from the resources of the concerned Council.

Hence, the Bill.

ARTI SINGH RAO,
Health Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 27th August, 2026.

DR. VIRENDER KUMAR DAHIYA,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या 21 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026

हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020
का निरसन करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य के विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् (निरसन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. (1) हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,-
 - (i) इस प्रकार निरसित किए गए अधिनियम के अधीन लिए गए या जारी किए गए सभी आदेश, अधिसूचनाएं, पंजीकरण, अनुमतियां, अनुमोदन, मान्यताएं, निर्णय, कार्यवाहियां और कार्रवाईयां, वैध और प्रभावी बनी रहेंगी;
 - (ii) हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् की सभी आस्तियां, निधियां, अभिलेख, संपत्तियां, देयताएं, अधिकार, बाध्यताएं, संविदाएं, प्रतिबद्धताएं, पंजीकरण, रजिस्टर, डेटाबेस, प्रमाणपत्र, अभिलेख और कार्यवाहियां, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् को इसके गठन के बाद हस्तांतरित की गई और में निहित समझी जाएंगी;
 - (iii) निरसन की तिथि से ठीक पूर्व हरियाणा राज्य भौतिक-चिकित्सा परिषद् में सेवारत अधिकारी और कर्मचारी, सेवा के उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों पर सेवा करते रहेंगे;
 - (iv) उक्त अधिनियम के निरसन की तिथि से पूर्व लम्बित कोई विधिक कार्यवाही, जांच, अपील, आवेदन या कोई अन्य मामले, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् के गठन पर भी जारी रहेंगे और संस्थित किए गए समझे जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् का गठन हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020 के अधीन राज्य में भौतिक चिकित्सा (Physiotherapy) के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें भौतिक चिकित्सकों का पंजीकरण, रजिस्ट्रों का रख-रखाव, शैक्षणिक संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों का विनियमन तथा व्यावसायिक मानकों और नैतिक आचरण को सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

तत्पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया, जिसमें सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए शिक्षा एवं सेवाओं के मानकों के विनियमन और रख-रखाव तथा राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन भौतिक चिकित्सा को सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के रूप में सम्मिलित किया गया है।

उक्त केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में हरियाणा राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् का गठन किया गया है। केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित वैधानिक ढांचे के दृष्टिगत, भौतिक चिकित्सा से संबंधित विनियामक कार्यों को एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाया जाना आवश्यक है। वर्ष 2020 के अधिनियम के अधीन पृथक राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् का निरंतर अस्तित्व विनियामक कार्यों में पुनरावृत्ति एवं अतिव्यापन को जन्म देगा।

अतः, एकीकृत विनियामक ढांचे के अंतर्गत सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2020 को निरसित करने हेतु हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026 अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक बचत एवं परिवर्तनकालीन उपबंध किए गए हैं, ताकि वर्ष 2020 के अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाहियों की वैधता एवं निरंतरता जिनमें पंजीकरणों, कार्यवाहियों की निरंतरता तथा परिसंपत्तियों, देयताओं और कार्मिकों का राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् को अंतरण सम्मिलित है, सुरक्षित रहें।

इस निरसन से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि व्यय की पूर्ति संबंधित परिषद् के संसाधनों से की जाएगी।

अतः, विधेयक प्रस्तुत है।

आरती सिंह राव,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2026.

डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया,
सचिव।